



सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (सम्परीक्षण अनुभाग)

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ



पत्र सं०-250 /सम्प० अनु०/जी०-1/1001/

दिनांक-04/08/2017

कार्यालय-आदेश

महालेखाकार द्वारा परिषद मुख्यालय एवं कतिपय फील्ड कार्यालय के माह अक्टूबर 2014 से दिसम्बर 2016 तक अभिलेखों के सम्परीक्षण में यह संज्ञान में लाया गया है कि नियंत्रक अधिकारियों द्वारा परिषद अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा-पुस्तिकाओं का समुचित ढंग से रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। यह भी संज्ञान में लाया गया है कि सेवा निवृत्त होने वाले प्रकरणों के परीक्षण में संबंधित कार्मिक की सेवा-पुस्तिकाओं के अपूर्ण होने के कारण पेंशन प्रकरणों के निस्तारण में भी अनावश्यक विलम्ब होता है।

वि०ह० पुस्तिका खण्ड-2 भाग-2 से 4 के सहायक नियम 135 के अन्तर्गत प्राविधानित प्रपत्र सं०-13 में सेवा-पुस्तिका के रख-रखाव के संबंध में स्पष्ट प्राविधान/निर्देश विद्यमान है। इसके अन्तर्गत सेवा-पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की पृविष्टियाँ कम से कम हर पांच वर्ष में पुनः नवीनीकृत या पुनः प्रमाणित की जानी चाहिए और स्तम्भ 10 एवं 11 पर (कर्मचारी के हस्ताक्षर) एवं (कार्यालयाध्यक्ष या अन्य साक्ष्यांकन अधिकारी के हस्ताक्षर) कराये जाने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं किया जा रहा है।

अतः उपरोक्त वित्तीय नियमों में प्राविधानित प्रक्रियानुसार कार्मिकों की सेवा-पुस्तिकाओं का अद्यावधिक रख-रखाव सभी नियंत्रक अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किए जाने के एतद्वारा आदेश प्रदान किए जाते हैं। उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। सेवा-पुस्तिका के अद्यावधिक न होने के आधार पर किसी कार्मिक के सेवा लाभ में बिलम्ब के लिए संबंधित सहायक/नियंत्रक अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

(राजेश कुमार पाण्डेय)

अपर आवास आयुक्त एवं सचिव

पृष्ठ सं०: 250 /उक्त/

तददिनांक: 04-08-2017

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, आवास आयुक्त को महोदय के संज्ञान में लाये जाने हेतु।
2. अपर आवास आयुक्त/अपर निबन्धक उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय।
3. उप आवास आयुक्त (प्रशा०) उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक, नि० ख०/नि० ई० उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद।
6. वित्त अधि०/आहरण वितरण अधि०/लेखाधि०(पेंशन) सम्परीक्षण अधिकारी, मुख्यालय
7. समस्त वास्तुविद नियोजक, वास्तुकला एवं नियोजन इकाई उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद।
8. समस्त सहायक आवास आयुक्त/सम्पत्ति प्रबन्धक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद।

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/
वित्त नियंत्रक